

48/2019

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हु

06/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पाया कि प्रकरण विगत 03 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन पर्याप्ततम अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तामीली नहीं करवाई गई है, ऐसी सूरत में वादी को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा वादी का वाद सम्मन तलवाना पेश नहीं किए जाने के अभाव के कारण वादी का वाद आदेश 09 नियम 02 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा

